

न्यायालय-चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)(पीठासीन अधिकारी-विनोद कुमार शर्मा)व्यवहार वाद कमांक 01ए/2014संस्थित दिनांक 31.12.2013फाइलिंग न.230301000372014

1. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर दयाल कटारे

उम्र 65 वर्ष

2. कैलाश नारायण पुत्र रामेश्वर दयाल कटारे

उम्र 55 वर्ष

निवासीगण ग्राम छिडियापुरा, तहसील अटेर,

जिला भिण्ड (म0प्र0)

.....वादीगण

/// विरुद्ध ///

1. रामदत्त पुत्र कुन्दनलाल उम्र 60 साल

2. सुरेश पुत्र कुन्दनलाल उम्र 50 साल

निवासीगण ग्राम छिडिया पुरा, तहसील अटेर,

जिला भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा श्री सुभाष कटारे अभिभाषक ।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री जगदीश सिंह तोमर अभिभाषक ।

/// निर्णय ////// आज दिनांक 17/10/2014को घोषित किया गया ///

1. वाद ग्राम छिडिया पुरा स्थित विवादित फर्द जगह वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे मे दर्शित अ,य,र,ल जगह वादीगण कें अ,ब,स,द भूखण्ड का भाग होने की घोषणा तथा उक्त भूखण्ड पर कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोके जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया है । प्रतिवादीगण ने काउंटर क्लेम के साथ स्वयं का नक्शा प्रस्तुत कर उसमें अ.ब.स.द, भूखण्ड पर स्वत्व की घोषणा तथा वादीगण के विरुद्ध स्थाई

निरंतर

निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया है ।

2. वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि ग्राम छिडिया पुरा में वादीगण के आधिपत्य का एक मकान स्थित है। जिसके पूर्व में आम रास्ता ग्राम आर.सी.सी. रोड, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में मकान वादीगण जिसके बीच में वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शित अ,ब,स,द से चिन्हित फर्द जगह वादीगण के मकान के सामने ग्राम आबादी आर.सी.सी. सड़क तक स्थित है। इसी जगह में प्रतिवादीगण द्वारा अ,य,ल,र, से चिन्हित लाल स्याही की जगह पर अनुविभागीय अधिकारी अटेर के स्थगन आदेश के बाबजूद कब्जा करने की कोशिश की जिसके संबंध में आवदेकगण ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी। अतः उक्त जगह विवादित है (जिसे आगामी पदों में विवादित जगह के नाम से सम्बोधित किया जावेगा)। एस.डी.एम. अटेर के न्यायालय में संचालित प्रकरण रामजीलाल बनाम रामदत्त में दिनांक 7.8.2013 को यथा स्थिति का आदेश जारी किया गया था। ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा पंचनामा प्रस्तुत किया गया। आर.सी.सी. सड़क से वादीगण एवं प्रतिवादीगण की जगह का विभाजन पूर्व से है। रोड के दूसरे ओर प्रतिवादीगण निवासरत है। प्रतिवादीगण ने अ,य,ल,र,की जगह में लगभग 8 गुणा 10 फीट में दिनांक 28.12.13 को नीव खोद कर पक्की ईंटों से नींव भरना प्रारंभ कर दिया। जिससे मौके पर झगड़ा प्रारंभ हो गया। मौके पर मामूली विवाद में वादीगण को चोटें आई। जिसकी रिपोर्ट थाना सुरपुरा में की गई। विवादित भूखण्ड पर वादीगण का पूर्वजों के जमाने से कब्जा चला आ रहा है फिर भी प्रतिवादीगण भूखण्ड पर गाँव में पार्टीवंदी होने से लोगों के भडकाने के कारण कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका विवादित जगह से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। यदि प्रतिवादीगण को कब्जा करने से नहीं रोका गया तो मौके पर शांति भंग होने की संभावना है। अतः विवादित स्थान पर अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत कर पद क्रमांक 1 में चाही गई सहायता हेतु निवेदन किया है।

3. प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र का जवाब एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत

निरंतर

कर प्रकट किया है कि प्रतिवादीगण के स्वामित्व का एक गौड़ा ग्राम छिड़यापुरा में स्थित है। जिस पर प्रतिवादीगण के पूर्वज ग्राम छिड़यापुरा की बसाहट के समय से ही निजी इस्तेमाल हेतु उपयोग करते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण निस्तार करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में वादीगण का ही कब्जा है। गत वर्ष ग्राम पंचायत द्वारा आर.सी.सी. की सड़क डालने से वादीगण का मकान व गौड़ा दो भागों में विभाविज हो गया। मकान के आगे रोड पड़ गई है। सड़क से मकान पूर्व की ओर गौड़ा पश्चिम की ओर निकल गया है। गौड़ा की लंबाई चौड़ाई को काउन्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत नक्शा में अ,ब,स,द से दर्शित किया है। उक्त जगह पर पूर्व में कच्ची दीवाल थी जो अभी सड़क गिरने के पश्चात तोड़ कर नवीन ईंटों की दीवाल बनाने के लिये मटेरियल इकट्ठा किया है। प्रतिवादीगण ने कच्ची दीवाल यह कह कर तुड़वा दी कि यह अच्छी नहीं लगती है इसके पक्की बनवा लो। जैसे ही दीवाल तोड़कर बनवाना प्रारंभ किया। प्रतिवादीगण ने पुलिस थाना सुरपुरा में सांठ गांठ कर झूठी रिपोर्ट कर निर्माण कार्य रुकवा दिया। एस.डी.एम. अटेर के यहाँ भी आवेदन दिया जिससे दीवाल कुछ समय के लिये रोक दी गई। वास्तविकता पता लगने पर एस.डी.एम. द्वारा कार्यवाही निरस्त कर दी गई। वादीगण ने मौके का गलत नक्शा प्रस्तुत किया है। दिनांक 28.12.2013 को स्वयं वादीगण ने प्रतिवादीगण एवं उनके परिवार के लोगो की मारपीट कर बेइज्जती की। प्रतिवादीगण जबरन गौड़ा को हड़पने की चेष्टा कर रहे हैं। दावे शेष समस्त तथ्यों को आसत्य एवं मनगढ़ंत होने अस्वीकार किया है तथा दावा निरस्त किये जाने एवं प्रतिदावा में चाही गई सहायता दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

4. वादीगण ने प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि प्रतिवादी का वादोक्त जगह पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान में है। उसमें हल, बखर, लकड़ी, कंडे तथा जानवर बांधने के तथ्य स्वीकार नहीं किये हैं। वादीगण के कहने पर कच्ची दीवाल को तोड़ा जाना एवं एस.डी.एम अटेर के यहां कार्यवाही प्रारंभ करने के तथ्य

निरंतर

असत्य लेख किये गये हैं । प्रतिवादीगण वादोक्त जगह से असंबंधित व्यक्ति है व प्रतिवादीगण का यह कहना भी असत्य है कि वादीगण प्रताप पुरा के रहने वाले हैं । वादोक्त जगह के साथ मकानात एवं कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता व बाबा को मामा के परिवार से बहैसियत उत्तराधिकार से प्राप्त हुयी थी । बाबा व पिता की मृत्यु के बाद वादीगण उस पर काबिज है । असत्य आधारों पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है । अतः प्रतिदावा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है ।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किए गये जिनके विवेचन उपरान्त निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किए जा रहे हैं:—

क्र०	/// वाद प्रश्न ///	/// निष्कर्ष ///
1.	क्या वादीगण वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में अ,ब,स,द भूखण्ड के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं ?	प्रमाणित नहीं ।
2.	क्या प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शित विवादित भूखण्ड के अ,य,र,ल भाग पर अविधिक रूप से निर्माण कार्य कर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया है ?	प्रमाणित नहीं ।
3.	क्या प्रतिवादीगण प्रतिदावा के साथ संलग्न नक्शों में दर्शित अ,ब,स,द भूखण्ड के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं ?	स्वत्व प्रमाणित नहीं । आधिपत्य प्रमाणित ।
4.	क्या वादीगण द्वारा प्रतिदावा के साथ संलग्न नक्शों में दर्शित अ,ब,स,द भूखण्ड पर प्रतिवादीगण के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	हाँ ।
5.	क्या आधिपत्य वापसी की सहायता चाहे बिना वाद प्रचलनशील है ?	नहीं ।
6.	सहायता एवं व्यय?	वाद खारिज । प्रतिदावा आंशिक रूप से स्वीकार

!! वाद प्रश्न क्रमांक 1 एवं 3!!

6. वादप्रश्न क्रमांक 1 के प्रमाणन का भार वादी पर है तथा वाद प्रश्न क्र० 3 के प्रमाणन का भार प्रतिवादीगण पर है । दोनों वादप्रश्नों के माध्यम से उभयपक्ष के स्वत्व एवं आधिपत्य के संबंध में निराकरण होना है । अतः

निरंतर

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को टालने के लिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है ।

7. उपरोक्त संबंध में वादी रामजीलाल वा.सा.1 ने प्रकट किया है कि ग्राम छिड़िया पुरा में उनकी पैतृक फर्द जगह स्थित है । प्रतिवादीगण वादोक्त जगह से पूर्णत असंबंधित व्यक्ति है उनका विवादित जगह से कोई संबंध नहीं है उन्होंने विवादित जगह को हड़पने के लिये प्रतिदावा प्रस्तुत किया है । दिसंबर माह में झगड़ा कर जबरन विवादित जगह खोदी व नीम भरने का प्रयास किया और वादी रामजीलाल की मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट थाना सुरपुरा में की गयी तथा धारा 145 जा.फौ. का इस्तगासा न्यायालय एस.डी.एम. अटेर के यहां पेश किया तथा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है । साक्षी महावीर प्रसाद वा.सा.2, रामअवतार वा.सा.3 एवं अलखराम वा. सा.4 ने उपरोक्त साक्षी के कथन का समर्थन किया है ।
8. प्रतिवादी रामदत्त श्रीवास प्र.सा.1 ने यह प्रकट किया है कि उसका एवं उसके भाई सुरेश का पुस्तैनी गोंड़ा ग्राम छिड़िया पुरा में स्थित है जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुआ है तथा पूर्वजों की मृत्यु के बाद कब्जा व निस्तार है । उक्त गोंड़ा में बाबा सोनू द्वारा नीम का पेड़ खड़ा किया गया था । करीब 2-3 वर्ष पूर्व गांव में सी.सी. रोड डालने के उपरांत गोंड़ा पर वादी कैलाश एवं रामजीलाल ने व्यवधान पैदा किया है गोंड़ा के पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में पूर्व से ही कच्ची दीवारों की बाउंड्री थी जिसमें कुटी की मशीन भाई सुरेश द्वारा पूर्व में ही गाड़ी गयी थी जो गत वर्ष अधिक वारिस होने के कारण कच्ची दीवारों के गिर जाने से दब गयी थी जिसे निकाल कर पुनः सुरेश द्वारा पुनः गाड़ा जा रहा था तथा दीवाल पर पक्की ईंटों की दीवाल बनाना प्रारंभ की तभी वादीगण ने विवाद प्रारंभ कर दिया । वह अकारण ही विवाद पैदा कर प्रतिवादीगण की जगह को हड़पना चाहते हैं । उक्त साक्षी के कथन का समर्थन दुलारे मिर्धा प्र.सा.2, बुधू शर्मा प्र.सा.3 एवं प्रेमनारायण शर्मा प्र.सा.4 ने किया है ।
9. उभयपक्ष द्वारा वादपत्र एवं प्रतिदावा के साथ अपना अपना नक्शा विवादित स्थल को दर्शित करने के लिय प्रस्तुत किये हैं । न्यायालय द्वारा विवादित

निरंतर

स्थल का स्थल निरीक्षण कराकर रिपोर्ट तलव करायी गयी है । उक्त रिपोर्ट के साथ कमिश्नर द्वारा पंचनामा प्र.डी.2 एवं नक्शा प्रदर्श डी 1 संलग्न किया है । कमिश्नर नक्शा से विवादित स्थल की आकृति वादी एवं प्रतिवादीगण के नक्शे से भिन्नता दर्शित हुयी है । उक्त नक्शा उभयपक्ष की उपस्थिति में बनाया गया है । उक्त नक्शा को दोनों ही पक्षों द्वारा कथन में वास्तविक स्थिति के अनुरूप बने होना स्वीकार किया है । अतः विवादित स्थल की सही स्थिति प्र.डी.1 का नक्शा ही दर्शित करता है ।

10. सर्वप्रथम स्वत्व के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । उक्त संबंध में वादी रामजीलाल वा.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 7 में यह स्वीकार किया है कि उसने विवादित स्थान के संबंध में अपने स्वत्व का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । साक्षी ने पद क्र० 10 यह बताया है कि वह जिस स्थान पर रह रहा है वह जगह उसे नाना ने दी थी । नाना ने उसे जगह दी थी उसका रिकार्ड उसके पास नहीं है । वादी साक्षी महावीर प्रसाद वा. सा.2 ने पद क्रमांक 3 में यह बताया है कि विवादित जगह रामजीलाल और कैलाश को उसके नाना नानी ने दी थी लेकिन उसे जानकारी नहीं है कि किस दस्तावेज से जगह दी गई थी । साक्षी रामौतार वा.सा.3 ने पैरा क्रमांक 9 में समान प्रकार की स्वीकारोक्ति की है । इस प्रकार वादी ने विवादित जगह पर स्वयं का स्वत्व होने के संबंध में कोई भी लेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । मौखिक रूप से अभिवचन किये है । प्रतिवादीगण ने विवादित संपत्ति पर अपना स्वत्व बताया है । ऐसी दशा में स्थावर संपत्ति पर स्वत्व प्रमाणित करने के लिये लेखीय साक्ष्य महत्वपूर्ण है । किंतु मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं है ।

11. वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्र.पी.3 का पंचनामा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य पंचों के हस्ताक्षर युक्त हैं, जिसमें विवादित जगह वादीगण के हक की होना दर्शित की गयी है, लेकिन उक्त पंचनामा के किसी भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित करा कर प्रमाणित नहीं कराया गया है । दूसरी ओर समान जगह के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से पंचनामा प्र.डी.3 (प्रदर्श नंबर संशोधित) प्रस्तुत किया गया है । उक्त पंचनामा में विवादित

निरंतर

जगह प्रतिवादीगण के हक की होना उल्लेखित है । उक्त पंचनामा भी समान सरपंच द्वारा जारी किया गया है । इस संबंध में वादी रामजीलाल से प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 7 में यह पूछा गया है कि उसने सरपंच से इस संबंध में कोई शिकायत क्यों नहीं की कि उसने समान जगह के संबंध में दो पंचनामा दिये हैं । इस पर साक्षी का कहना है कि सरपंच चाहे तो 10 आदमियों को पंचनामा दे दे उसे क्या परेशानी है। इस प्रकार एक ही जगह के संबंध में समान प्रकार के दो पंचनामा समान व्यक्ति द्वारा लिखे जाने से वह विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते और यह दर्शित होता है कि जिस पक्ष ने अपने हक में जिस प्रकार का पंचनामा मांगा गया है उस पर सरपंच द्वारा हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने अपने अनुसार साक्षियों के हस्ताक्षर कराये गये हैं । प्रतिवादी की ओर से पंचनामा के साक्षी दुलारे मिर्धा प्र.सा.2 को परीक्षित अवश्य कराया है, लेकिन इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 7 में यह बताया है कि उसने पंचनामा पढ़ा नहीं है और न ही उसे किसी ने पढ़कर सुनाया । गांव का चौकीदार होने से उसने उस पर अंगूठा लगा दिया था । पंचनामा किसने लिखा उसे नहीं पता । इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया पंचनामा भी विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार इस पंचनामाओं से वादी एवं प्रतिवादी के स्वत्व के निष्कर्ष निकाले नहीं जा सकते। प्रस्तुत पंचनामा महत्वहीन है।

12. प्रतिवादीगण ने विवादित जगह को स्वयं के स्वत्व की होना बताया है। इस संबंध में प्रतिवादी रामदत्त श्रीवास ने अपने मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 8 में विवादित जगह को अपने बाबा सोनू से प्राप्त होना बताया है तथा यह बताया है कि बाबा उसके पिता के हक में लिखा पढ़ी कर गये थे, लेकिन इस साक्षी को लिखापढ़ी की कोई जानकारी नहीं है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि विवादित जगह उसके एवं सुरेश के नाम से दर्ज है अथवा नहीं । इस प्रकार दोनों ही पक्षों की साक्ष्य पर विचार किया जाये तो विवादित जगह के संबंध में स्वत्व का लेखीय प्रमाण किसी के पास उपलब्ध नहीं है । उभयपक्ष की इस संबंध में मात्र मौखिक

निरंतर

साक्ष्य है। अतः समान प्रकार की मौखिक साक्ष्य के आधार पर बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण के स्वत्व की उपधारणा नहीं की जा सकती। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण का विवादित जगह पर स्वत्व होना प्रमाणित नहीं है।

13. जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है। उक्त संबंध में सर्वप्रथम वादी की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तब वादी के समस्त साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज जब से गांव बसा है। वह ग्राम छिड़िया पुरा में निवासरत रहे हैं। वादी ने अब अपने वादपत्र, नक्शा एवं कथन में यह स्पष्ट नहीं किया कि विवादित स्थल की क्या स्थिति रही है उस पर दीवारों के निर्माण एवं स्वयं किस प्रकार निस्तार किया जाता रहा है। इस संबंध में कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं किया है। वादीगण की ओर से वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में अ,य,र,ल भाग पर नींव खोदकर दीवाल बनाये जाने से विवाद प्रारंभ होना बताया है। इस संबंध में कमिश्नर द्वारा बनाये गये नक्शा प्र.डी.1 का अवलोकन किया जाये तो जिस स्थान पर वादीगण ने नींव खोदना बताया है उस स्थान पर कोई नींव खोदे जाने का उल्लेख नहीं रहा है। विवादित स्थल पर पश्चिम दिशा की ओर कुल 16 फीट लम्बाई में सें 9 फिट लम्बी 9 इंच मोटी दीवाल ईंटों की बनी हुयी है। उत्तर एवं दक्षिण की ओर कच्ची दीवाल निर्मित है।
14. वादीगण के मकान के पूर्व एवं उत्तर दिशा में क्रमशः खुल जगह एवं सी. सी. रोड है। इस प्रकार विवादित स्थल से वादीगण के मकान सटे हुये नहीं है। विवादित स्थल पर नींव का पेड़ खड़ा है लिडोरी एवं खूटे गड़े हैं तथा ईंट रखी गयी है। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि विवादित स्थल का उपयोग पशु बांधने के लिये किया जाता रहा है। वादीगण ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने कभी कोई निस्तार विवादित स्थल पर किस प्रकार से किया है। जबकि प्रतिवादीगण का इस संबंध में स्पष्ट अभिवचन एवं कथन है।
15. साक्षी रामजीलाल वा.सा.1 के कथन का अवलोकन किया जाये तो इस साक्षी ने पद क्र० 8 में यह बताया है कि पूर्व में कच्ची दीवाल थी जो गिर

निरंतर

गयी थी और कच्ची दीवाल गिरने पर प्रतिवादीगण पक्की दीवाल बना रहे थे, इसलिये विवाद हुआ था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण को कुटी की मशीन नहीं गाड़ने दी थी, इसलिये विवाद हुआ था । पद क्र० 9 में साक्षी बताता है कि जब रामदत्त व सुरेश ने पक्की दीवाल बनायी तभी विवाद हुआ था, उससे पहले विवाद नहीं था । पद क्र० 14 में साक्षी बताता है कि जब तक झगड़ा नहीं हुआ था तब तक उसने रामदत्त को कभी नहीं रोका, क्योंकि निस्तार का मौका नहीं आया था । पहले उसके एवं प्रतिवादी के मन में कोई विवाद नहीं था । पद क्र० 15 में यह साक्षी बताता है कि सुरेश ने दीवाल खुद अपने हाथ से तोड़ी थी । सुरेश ने उस जगह को कच्ची दीवाल की जगह पक्की दीवाल बनाने के लिये तोड़ा था । यह बात सुरेश जाने । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त निर्माण कार्य के बाद ही उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट की तथा धारा 145 का दावा एस.डी.एम. के यहां पेश किया । वादी की साक्ष्य में आये उक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि विवादित स्थल पर पूर्व से कच्ची दीवाल पर निर्माण था । उस पर प्रतिवादी सुरेश द्वारा पक्की दीवाल का निर्माण हेतु कच्ची दीवाल तोड़कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है । दीवाल तोड़ने के समय वादीगण ने कोई विवाद नहीं किया है । यह भी दर्शित होता है कि उससे पूर्व निस्तार को लेकर कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ । कमिश्नर नक्शे के अनुसार मौके पर पशुओं के खूटे तथा लिड़ोरी पाये गये । ऐसी दशा में यह विश्वसनीय नहीं है कि विवादित स्थल का कभी उपयोग निस्तार हेतु नहीं किया गया हो ।

16. वादी साक्षी महावीर प्रसाद वा.सा.2 के कथन का अवलोकन किया जाये तो इस साक्षी के कथन से यह दर्शित हाता है कि यह साक्षी ग्राम प्रताप पुरा में निवासरत है । इस साक्षी का मकान ग्राम छिड़िया पुरा में नहीं है । साक्षी को यह जानकारी नहीं है कि विवादित जगह किस प्रकार से वादीगण के नाना द्वारा वादीगण को दी गयी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि रामजीलाल व कैलाश के यहां उसका प्रतिदिन आना जाना है । साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि इस साक्षी को न्यायालय से कोई सूचना पत्र

निरंतर

कथन देने हेतु नहीं गया है । साक्षी स्वयं वादीगण के कहने से न्यायालय में उपस्थित हुआ है । साक्षी का इस प्रकार वादीगण से हितबद्ध होना दर्शित है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पक्की सड़क पड़ने से पूर्व सुरेश एवं रामदत्त अपने मकानों के सामने गाय भैंस बांधते थे और कैलाश एवं रामजीलाल अपने मकानों के सामने गाय, भैंस बांधते थे । इस साक्षी ने यह नहीं कहा कि वादीगण कभी विवादित जगह का उपयोग गाय भैंस बांधने के लिये करते थे । साक्षी ने पैरा क्र० 8 में यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ने कभी लट्ट एवं धन बल के आधार पर कभी किसी जगह पर कब्जा नहीं किया । इस प्रकार प्रतिवादीगण जबरन किसी स्थान पर कब्जा करने को आदि रहे हों यह भी दर्शित नहीं होता है ।

17. साक्षी रामअवतार वा.सा.3 ने अपने कथन के पद क्र० 5 में यह स्वीकार किया है कि वादी रामजीलाल उसे मामा कहते हैं । साक्षी ने पद क्र० 8 में यह बताया है कि रामजीलाल के पक्ष में तो प्रतिवादी के परिवार के विरुद्ध चल रहे प्रकरण में उसने गवाही दी है । पद क्र० 11 में यह स्पष्ट किया है कि उसने पिछली तारीखों पर रामजीलाल के पक्ष में आपराधिक प्रकरण में उसने गवाही दी है । इस प्रकार यह साक्षी भी वादीगण से अत्यधिक हितबद्ध तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध साक्ष्य देता रहा है । साक्षी ने पद क्र० 7 में यह स्वीकारोक्ति की है कि दक्षिण दिशा की दीवाल बरसात में गिर गयी थी । सुरेश कच्ची दीवाल के स्थान पर पक्की दीवाल बना रहे थे और कुटी की मशीन गाड़ रहे थे, उसी समय विवाद हुआ था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से एवं पूर्वोक्त साक्षियों के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विवादित स्थल पर दीवालें हैं तथा दीवाल गिरने पर प्रतिवादीगण पक्की दीवाल का निर्माण कर रहें इसी दौरान प्रतिवादीगण ने विवाद किया है । उक्त तथ्य से प्रतिवादीगण के उक्त सम्बन्ध में अभिवचन एवं साक्ष्य की संपुष्टि होती है । साक्षी ने पद क्र० 11 में यह स्वीकार किया है कि रामजीलाल और कैलाश उसकी बिरादरी एवं हितेपी हैं इस प्रकार यह दर्शित होता है कि साक्षी वादीगण के कहने से न्यायालय में

निरंतर

कथन देने आया है । अतः उसकी साक्ष्य विवादित स्थल पर वादीगण के आधिपत्य के संबंध में विश्वसनीय एवं स्वतंत्र नहीं कही जा सकती।

18. साक्षी अलखराम ब.सा. 4 ने भी वादी रामजीलाल को स्वयं के भानेज होना बताया है । यह भी स्वीकार किया है कि रामजीलाल और उसका रोजना का उठना बैठना है तथा एक दूसरे के दुख बीमारी में सहयोग करते हैं । इस प्रकार यह साक्षी भी वादीगण से हितबद्ध रहा है । साक्षी के पद क्र० 6 का अवलोकन किया जाये तो उसने यह बताया है कि कैलाश के मकान के बाहर टीनशेट लगा है उसके बाद फर्द जगह है उस पर कैलाश के पशु बंधते हैं तथा रामजीलाल के मकान के आगे दरवाजे पर एक टीनशेट लगा है उसके बाद फर्द जगह है । इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी यह दर्शित नहीं है कि वादीगण विवादित फर्द जगह का उपयोग कभी पशु आदि बांधने के लिये करते थे, क्योंकि जिस ओर वादीगण के मकान हैं उस ओर पूर्वाक्त विवेचन से यह दर्शित हुआ है कि कच्ची दीवाल पूर्व से बनी थी । निश्चित रूप से यदि वादीगण के आधिपत्य में विवादित जगह रही होती तो उनके निवास की ओर विवादित जगह का दरवाजा भी होता । इस प्रकार साक्षी के कथन से यही उपधारणा कि जावेगी कि वादीगण के पशु बंधते है तो वह उनके घर के आगे जो जगह पड़ी हुयी है उस पर ही बांधे जातें है। साक्षी ने पद क्र० 8 में यह जानकारी न होना बताया है कि विवादित जगह पर प्रतिवादीगण एवं उसके पूर्वज निस्तार करते थे अथवा नहीं । इस प्रकार साक्षी ने इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया कि प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज का निस्तार विवादित जगह पर नहीं रहा । इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी वादीगण के विवादित जगह पर निस्तार होने के संबंध में कोई विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त नहीं होता है ।

19. आधिपत्य के संबंध में अन्य कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है । इस प्रकार वादीगण का विवादित स्थान पर निरंतर आधिपत्य रहा हो यह दर्शित नहीं है । वादीगण की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि विवादित स्थल पर दीवाल बनी हुयी है जिसमें से कुछ दीवाल गिरने पर प्रतिवादी सुरेश ने दीवाल का निर्माण कार्य कराया

निरंतर

उससे पूर्व कभी वादीगण ने विवाद नहीं किया । दीवाल निर्माण के समय ही विवाद प्रारंभ किया है उस संबंध में प्रतिवादी रामदत्त प्र.सा. 1 की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो साक्षी ने यह स्वीकारोक्ति अवश्य की है कि उसके पास कोई दस्तावेज प्रमाण विवादित स्थान पर स्वत्व से संबंधित नहीं है, किंतु साक्षी इस तथ्य पर खण्डित नहीं है कि विवादित स्थान उनके पूर्वजों के समय से उनके आधिपत्य में नहीं रहा। साक्षी ने पद क्र० 10 में ही समान तथ्यों को दोहराया है। इस साक्षी के कथन के पद क्र० 11 में यह तथ्य आया है कि उसके दरवाजे पर भी पशु बांधे जाते हैं, किंतु विवादित स्थान पर उसका एवं उसके भाई का निस्तार नहीं रहा, इस संबंध में इस साक्षी ने कोई स्वीकारोक्ति नहीं की । वादी की ओर से पद क्र० 12 में यह सुझाव दिया गया है कि एस.डी.एम. न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के बाद पुलिस ने विवादित जगह से मशीन एवं टीनशेट फेंके थे । टीन दीवाल पर लगी हुयी थी ऐसी साक्ष्य वादीगण की है । इस प्रकार उक्त सुझाव से प्रतिवादी के अभिवचन की इस संबंध में पुष्टि होती है कि विवादित स्थल पर उनका निस्तार रहा है । साक्षी ने पद क्र० 12 में ही यह अवश्य बताया है कि विवादित जगह थोड़ी उंची नीची है तथा पशु नहीं बांधे जा सकते, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष के चौमासे में जगह पानी निकलने से उंची नीची हो गयी है । साक्षी ने विवादित जगह पर नींव खोदे जाने से ही विवाद प्रारंभ होना बताया है, उसके पहले प्रतिवादीगण से अपने संबंध अच्छे होना स्वीकार किया है । इस प्रकार इस साक्षी के कथन से इस तथ्य का खण्डन नहीं हुआ है कि उसका आधिपत्य विवादित स्थान पर नहीं है ।

20. प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी दुलारे मिर्धा प्र.सा.2 का कथन कराया है । यह साक्षी पंचनामा प्र.डी.3 का साक्षी है । यद्यपि मेरे उसने उस पर चौकीदार की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन उसे पंचनामा के तथ्यों की जानकारी नहीं है । जहां तक मौखिक साक्ष्य का संबंध है यह साक्षी गांव का 70 वर्ष से चौकीदार है । साक्षी ने मुख्य परीक्षण में प्रतिवादीगण की विवादित स्थल पर आधिपत्य की पुष्टि की है । साक्षी ने कब कब

निरंतर

विवादित स्थान पर सड़कें डाली गयी हैं इस संबंध में जानकारी दी है । साक्षी ने यह भी बताया है कि विवादित स्थल पर कच्ची दीवाल है तथा वह आज भी बनी हुयी है । इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि गांव में चुनावी पार्टीबंदी होने एवं सरपंची के चुनाव से रंजिश होने के कारण वह कथन देने आया है । इस प्रकार इस साक्षी से किसी प्रकार की कोई रंजिश वादीगण से रही हो यह दर्शित नहीं है । साक्षी प्रतिवादीगण से हितवद्ध हो ऐसी भी उसकी स्वीकारोक्ति नहीं आई है । साक्षी गांव का चौकीदार होकर 90 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है उसने प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से ही विवादित जगह पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य एवं निस्तार होने की पुष्टि की है । उसकी साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादीगण के आधिपत्य के संबंध में तनिक भी खण्डित नहीं है । ऐसी दशा में उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है ।

21. साक्षी बुधू शर्मा प्र.सा.3 एवं प्रेमनारायण शर्मा प्र.सा.4 ने भी पूर्वोक्त साक्षी के सामन प्रतिवादीगण से कोई हितबद्धता एवं वादीगण से कोई विवाद होने के तथ्यों को स्वीकार नहीं किया है । इन साक्षियों ने एक स्वर से प्रतिवादी के आधिपत्य की पुष्टि की है । साक्षी बुधू शर्मा ने यह अवश्य बताया है कि विवादित स्थल पर नीम का पेड़ किसने लगाया उसे पता नहीं है, लेकिन यह बताया है कि प्रतिवादीगण के पिता कुंदन ने उसे यह बताया था कि पेड़ उनके बाबा ने लगाया था । साक्षी ने दीवाल किस दिशा में है तथा किस प्रकार से बनी है यह स्पष्ट किया है । यह साक्षी भी ग्राम छिड़िया पुरा का निवासी है । साक्षी प्रेमनारायण शर्मा प्र.सा.4 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पूर्व से उसका ट्यूबवेल छिड़िया पुरा में रहा है चार वर्ष पूर्व से वह मकान बनाकर रहने लगा है । साक्षी ने निरंतर आधिपत्य प्रतिवादीगण का देखे जाने की पुष्टि की है । इस प्रकार प्रतिवादी की साक्ष्य इस संबंध में खण्डित नहीं है कि विवादित स्थल पर आधिपत्य वादीगण का नहीं रहा है ।

22. उपरोक्त संपूर्ण साक्षियों के कथन से यह दर्शित होता है कि उभयपक्ष की ओर से अपना स्वत्व प्रमाणित करने के लिये कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य

निरंतर

प्रस्तुत नहीं की है । जहां तक आधिपत्य का संबंध है वादीगण के मुकाबले आधिपत्य निरंतर प्रतिवादीगण के होने के संबंध में साक्ष्य अत्यधिक विश्वसनीय रही है । वादीगण की ओर से परीक्षित समस्त साक्षी किसी न किसी प्रकार से वादीगण से हितबद्ध है । जबकि प्रतिवादीगण की साक्ष्य का स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन हुआ है । ग्राम चौकीदार दुलारे मिर्धा का इस सम्बन्ध में कथन अत्यधिक विश्वसनीय है । वादीगण किसी गाँव के स्वतंत्र व्यक्ति की साक्ष्य कराने में विफल रहे हैं । वादी साक्ष्य से भी इस संबंध में पुष्टि हो रही है कि प्रतिवादीगण विवादित स्थान का प्रयोग करते रहे हैं । वादीगण यह प्रमाणित करने के लिये पूर्णतः विफल रहे हैं कि उनका किस प्रकार से निस्तार विवादित जगह में होता था । ऐसी दशा में संभावना की प्रबलता वादीगण के मुकाबले प्रतिवादीगण के पक्ष में अधिक है । अतः वादीगण का निरंतर आधिपत्य प्रमाणित होता है । अतः वादप्रश्न क्र० 1 के संबंध में यह निष्कर्ष है कि विवादित जगह पर वादीगण का न ही हक है और न ही आधिपत्य है । अतः वादप्रश्न क्र० 1 प्रमाणित नहीं होता है । वादप्रश्न क्र० 3 के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं किया है, किंतु उनका निरंतर आधिपत्य होना प्रमाणित है । अतः उक्त वादप्रश्न आंशिक रूप प्रमाणित होता है ।

!! वाद प्रश्न कमांक 2 एवं 4!

23. पूर्वोक्त वादप्रश्नों के निराकरण से विवादित भूखण्ड पर वादीगण का आधिपत्य प्रमाणित नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण का निरंतर आधिपत्य भूखण्ड पर प्रमाणित हुआ है । वादीगण ने अपने नक्शे में जो अ,य,र,ल जगह पर अविधिक निर्माण होने के अभिवचन किये हैं कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शा प्र.डी.1 से उस स्थान पर कोई निर्माण कार्य होना भी दर्शित नहीं है । अतः उक्त विशेष स्थान पर कोई निर्माण कार्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रारंभ किये जाने के तथ्य अविश्वसनीय रहे हैं । प्रतिवादीगण ने विवादित संपूर्ण भूखण्ड पर स्वयं का आधिपत्य प्रमाणित किया है ।
24. वादीगण ने उक्त भूखण्ड को लेकर ही उभयपक्ष के मध्य झगड़ा प्रारंभ

निरंतर

होना स्वीकार किया है । जबकि उनका आधिपत्य विवादित भूखण्ड पर नहीं रहा है । उक्त संबंध में रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं प्र.पी.2 प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गयी है, किंतु आपराधिक प्रकरण में दर्ज होने से वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अपितु उक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि वादीगण विवादित जगह पर प्रतिवादीगण के आधिपत्य को लेकर स्वयं आपत्ति करते रहे हैं, जिसके कारण उभयपक्ष के मध्य आपराधिक कार्यवाही तक कायम हुये हैं । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सुस्थापित आधिपत्य का संरक्षण किया जाना चाहिये जहां प्रतिवादीगण का आधिपत्य प्रमाणित है वहां पर यह प्रमाणित होता है कि वादीगण द्वारा बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है । अतः यह निष्कर्ष है कि वादप्रश्न क्र० 2 वादीगण की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है । जबकि वादप्रश्न क्र० 4 प्रतिवादीगण की साक्ष्य से प्रमाणित होता है ।

!! वाद प्रश्न कमांक 5 !!

25. उक्त वादप्रश्न प्रतिवादीगण की विधिक आपत्ति पर आधारित है । वादीगण ने स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही है । पूर्वोक्त वादप्रश्नों के निराकरण से वादीगण अपना आधिपत्य विवादित भूखण्ड पर प्रमाणित करने के लिये विफल रहे हैं । ऐसी दशा में जहां उनका आधिपत्य नहीं है । वहां पर घोषणा के दावे में उनको आधिपत्य की सहायता धारा 34 विनिर्दिष्ट अधिनियम के परंतुक के अनुसार मांगनी चाहिये थी, किंतु आधिपत्य वापसी की सहायता नहीं चाही है । ऐसी दशा में घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया वाद प्रचलनशील ही नहीं है । अतः वादप्रश्न क्र० 5 के संबंध में यह निष्कर्ष है कि वाद प्रचलनशील नहीं है ।

!! वाद प्रश्न कमांक 6 !!

26. पूर्वोक्त समस्त वादप्रश्नों के निराकरण से वादीगण विवादित स्थान पर स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने के लिये विफल रहे हैं । वादीगण का आधिपत्य न होने से घोषणा हेतु प्रस्तुत उनका दावा प्रचलनशील नहीं है । ऐसी दशा में वादीगण वादपत्र में याचित कोई भी सहायता प्राप्त करने के

निरंतर

अधिकारी नहीं है ।

27. प्रतिवादीगण ने विवादित स्थल पर स्वयं का स्वत्व प्रमाणित नहीं किया है, किंतु उनका निरंतर आधिपत्य विवादित जगह पर होना प्रमाणित है । विधि अनुसार सत्त आधिपत्य की रक्षा की जाना चाहिये । अतः वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादी विवादित जगह के संबंध में वांछित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

28. उपरोक्तानुसार वाद अस्वीकार कर एवं प्रतिदावा आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्नानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे :-

1. वादीगण वादपत्र के सहायता पद में याचित कोई भी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ।
2. वादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह विवादित जगह (मुताबिक कमिश्नर नजरी नक्शा प्र.डी.1 में दर्शित अ.ब.स.द जगह पर) प्रतिवादीगण के आधिपत्य में स्वयं एवं किसी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप न करें ।
3. कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श डी 1 डिक्री का अंग रहेंगा ।
4. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे ।
5. अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार या प्रमाणित होने पर, दोनों में से जो कम हो खर्चे में जोड़ी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टाईप किया गया ।

(विनोद कुमार शर्मा)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)

(विनोद कुमार शर्मा)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)

निरंतर